

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प(77/74) ई.सी. बैठक/2000/205

दिनांक 3/4/2000

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 74वीं बैठक दिनांक 02.03.2000 का कार्यवाही विवरण।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 74वीं बैठक श्री एन.सी. गोयल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2000 को प्रातः 11.00 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये।

- | | | |
|----------------|------|--|
| प्रस्ताव | 74.1 | कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक दिनांक 16.11.99 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि। |
| पारित प्रस्ताव | 74.1 | कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक दिनांक 16.11.99 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गयी। |
| प्रस्ताव | 74.2 | कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट। |
| पारित प्रस्ताव | 74.2 | कार्यकारी समिति की 73वीं बैठक दिनांक 16.11.99 के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। |
| प्रस्ताव | 74.3 | लक्ष्मीनारायणपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना त्यागी कालोनी, ग्राम मानपुर देवरी उर्फ मीनावाला तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 118 की कुल भूमि 3929.44 वर्ग गज में से |

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

टॉक रोड के राईट ऑफ वे में आ रही भूमि को छोड़कर शेष भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में औद्योगिक में से आवासीय भू-उपयोग रूपान्तरण बाबत।

पारित प्रस्ताव 74.3

प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिए गये:-

(अ) लक्ष्मीनारायणपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना त्यागी कालोनी, ग्राम मानपुर देवरी उर्फ मीनावाला तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 118 की कुल भूमि 3929.44 वर्ग गज में से टॉक रोड के राईट ऑफ वे में आ रही भूमि को छोड़कर शेष भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में औद्योगिक में से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कर दिया जावे। परन्तु इससे पूर्व यह भी चैक कर लिया जावे कि उक्त खसरा स्थित भूमि कृषि भूमि है।

(ब) तत्पश्चात यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त खसरा में टॉक रोड के राईट ऑफ वे में आ रही भूमि को छोड़कर शेष भूमि के भू-उपयोग का औद्योगिक से आवासीय रूपान्तरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 (3) के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा दिनांक 17.11.99 को समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है परन्तु कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जावे।

प्रस्ताव

74.4

लोहा मण्डी योजना हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम माचेड़ा, तहसील आमेर का भू-उपयोग उपान्तरण बाबत।

पारित प्रस्ताव 74.4

लोहा मण्डी योजना हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम माचेड़ा, तहसील

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

आमेर का भू-उपयोग उपान्तरण बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिए गये:-


- (अ) बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को जानकारी दी गई की लोहा मण्डी योजना हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम माचेडा, तहसील आमेर कुल 103 बीघा 7 बिस्वा भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 में भू उपयोग "रीजनल पार्क" दिखाया हुआ है जिसका भू-उपयोग "स्पेशियलाईज्ड मार्केट्स" में उपान्तरित करने के प्रस्ताव दिये गये है। चूँकि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(3) के अनुसरण में आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित कर लिये गये हैं तथा समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जाकर राजस्थान राजपत्र में भी अधिसूचना दिनांक 15.12.99 को प्रकाशित करवाई जा चुकी है और कोई आपत्ति-सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः उक्त भूमि के भू-उपयोग का "रीजनल पार्क" से "स्पेशियलाईज्ड मार्केट्स" में उपान्तरण करने के लिए प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।
- (ब) राज्य सरकार से भू उपयोग उपान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी की जावे।

प्रस्ताव 74.5 मास्टर विकास योजना 2011, जयपुर क्षेत्र में आवासीय से व्यावसायिक भूउपयोग उपान्तरण प्रकरण श्री सुरेन्द्र व्यास, भूखण्ड संख्या 16 (पार्ट) डिग्गी हाउस परिसर हाउस, जयपुर।

पारित प्रस्ताव 74.5 समिति ने प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श उपरान्त निम्नांकित दिशा निर्देश दिये:-

- (अ) समिति का मत था कि इस प्रकार के पृथक-पृथक मामले में मास्टर विकास योजना 2011 में भू-उपयोग उपान्तरण के प्रस्ताव लाने के स्थान पर पूरी रोड़ के




सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

बारे में एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए।

(ब) समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर दिशा निर्देश जारी करते हुए पूर्ण प्रकरण परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत करने के आदेश दिये:-

(i) भूखण्ड संख्या 16 (पार्ट) डिग्गी हाउस परिसर जयपुर जिसमें आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग उपान्तरण के प्रस्ताव दिये गये हैं उसका कुल क्षेत्रफल कितना है व कितने क्षेत्रफल में भू उपान्तरण की कार्यवाही प्रस्वावित है?

(ii) भवन विनियम 1996 के अन्तर्गत भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई को देखते हुए क्या आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग उपान्तरण के प्रस्ताव उचित है?

(iii) क्या भूखण्ड के आस-पास के क्षेत्र में अन्य भूखण्डों /भूमि में आवासीय से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है? यदि आवासीय से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है तो इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जावे।

उक्त दिशा निर्देश देते हुए प्रकरण को स्थगित किया गया।

प्रस्ताव 74.6 Approval for obtaining loan under the "Rajasthan Urban Infrastructure Development Project" from the Asian Development Bank.

पारित प्रस्ताव 74.6 एशियन डवलपमेन्ट बैंक से ऋण लिये जाने के संबंध में समिति के माननीय सदस्यों को जानकारी दी गयी कि राज्य सरकार प्रदेश के छः शहरों जिसमें जयपुर भी सम्मिलित है, उनके आधारभूत सुविधाओं (Infrastructure) के विकास के लिए एशियन डवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त कर रही है। राज्य सरकार जयपुर की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्राधिकरण को लगभग 130 करोड़ रु. की धन राशि उपलब्ध करवायेगी, जिसमें 30 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

में तथा शेष राशि ऋण के रूप में होगी जो 13 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर प्राप्त होगी। अतः समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करके निम्नांकित निर्णय लिये:-

- (1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत राज्य सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- (2) राज्य सरकार एवं एशियन डवलपमेन्ट बैंक के मध्य हुए समझौते के आधार पर राज्य सरकार/उक्त बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जावे।
- (3) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ऋण एवं ब्याज की राशि के पुर्नभुगतान हेतु समुचित बजट प्रावधान किया जावे।
- (4) राज्य सरकार से यदि गारन्टी की आवश्यकता होतो गारन्टी प्राप्त की जावे।
- (5) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को ऋण की नियम एवं शर्ते अनुमोदित करने तथा इस संबंध में संबंधित दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया।
- (6) एशियन डवलपमेन्ट बैंक से ऋण लेने के संबंध में आयुक्त, जविप्रा की ओर से नगरीय विकास विभाग को दिनांक 02.09.99 को प्रेषित सहमति जो राज्य सरकार एवं प्राधिकरण के मध्य ड्राफ्ट अनुबन्ध के रूप में थी की कार्योतर पुष्टि की गयी।
- (7) दिनांक 17.12.99 को जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आयुक्त जविप्रा तथा राज्य सरकार की ओर से शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के मध्य निष्पादित अनुबन्ध की कार्योतर पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव 74.7 Permitting Drive-in-Cinema as use premises under the head Recreational use Zoning 9.8.1

पारित प्रस्ताव 74.7 समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण को पूर्ण परीक्षण के अभाव में स्थगित किया गया।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से
(अतिरिक्त एजेण्डा आईटमस)

प्रस्ताव 74.8(1) गोविन्दपुरा (सांगानेर) में "आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग" के आवासों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव 74.8(1) गोविन्दपुरा (सांगानेर) में "आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग" के 250 आवासों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- (1) राज्य सरकार के द्वारा दिये गये लक्ष्यों को अर्जित करने की दृष्टि से हुडको से 100 लाख रूपये की धनराशि ऋण स्वरूप प्राप्त की जावे।
- (2) श्री के. पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा को ऋण अनुबन्धों, मोर्टगेज डीड पर हस्ताक्षर करने, दस्तावेजों पर प्राधिकरण की कामन सील लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करने को अधिकृत किया गया है।
- (3) योजना की कुल राशि व ऋण राशि के अन्तर को प्राधिकरण अपने स्रोतों से पूर्ति करेगा, जिसमें योजना राशि में बढोतरी भी, यदि कोई है, सम्मिलित है।
- (4) हुडको के ऋण एवं ब्याज की राशि का समय-समय पर पुर्नभुगतान हेतु बजट में समुचित प्रावधान रखना।
- (5) निदेशक (वित्त) द्वारा उक्त ऋण राशि प्राप्ति हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति एवं गारन्टी प्राप्त कर हुडको को देना।
- (6) राज्य सरकार को गारन्टी कमीशन निर्धारित समय एवं दर से भुगतान करना एवं विफल होने की स्थिति में प्राधिकरण को देय किसी राशि से कटौती करने हेतु राज्य सरकार को सहमति देना।
- (7) योजना क्रियान्वती हेतु प्रशासनिक व पर्यवेक्षण व्यय हेतु 5

सचिव

बम्बुर विकास समिती
बम्बुर

प्रतिशत का प्रावधान।

- (8) विकसित भूमि की लागत की राशि आरक्षित दर की एक चौथाई लगाना।
- (9) गोविन्दपुरा (सांगानेर) योजना का एवं उसकी आरक्षित दर 654 रूपये प्रति वर्ग मीटर का भी अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव

74.8(2) पालड़ी मीणा में "आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग" के आवासों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव

74.8(2) पालड़ी मीणा में "आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग" के 550 आवासों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने के प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- (1) राज्य सरकार के द्वारा दिये गये लक्ष्यों को अर्जित करने की दृष्टि से हुडको से 220 लाख रूपये की धनराशि ऋण स्वरूप प्राप्त की जावे।
- (2) श्री के. पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा को ऋण अनुबन्धों, मोर्टगेज डीड पर हस्ताक्षर करने, दस्तावेजों पर प्राधिकरण की कामन सील लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करने को अधिकृत किया गया।
- (3) योजना की कुल राशि व ऋण राशि के अन्तर को प्राधिकरण अपने स्रोतों से पूर्ति करेगा, जिसमें योजना राशि में बढोतरी भी, यदि कोई है, सम्मिलित है।
- (4) हुडको के ऋण एवं ब्याज की राशि का समय समय पर पुर्नभुगतान हेतु बजट में समुचित प्रावधान रखना।
- (5) निदेशक (वित्त) द्वारा उक्त ऋण राशि प्राप्ति हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति एवं गारन्टी प्राप्त कर हुडको को दी जावे।
- (6) राज्य सरकार को गारन्टी कमीशन निर्धारित समय एवं दर से भुगतान करना एवं विफल होने की स्थिति में प्राधिकरण को देय किसी राशि से कटौती करने हेतु राज्य सरकार को सहमति देना।
- (7) योजना क्रियान्वती हेतु प्रशासनिक व पर्यवेक्षण व्यय हेतु 5 प्रतिशत का प्रावधान।

सचिव

व्यपूर विकास प्राधिकरण

व्यपूर

- (8) विकसित भूमि की लागत की राशि आरक्षित दर की एक चौथाई लगाना।
- (9) पालड़ी मीणा योजना का एवं उसकी आरक्षित दर 670 रूपये प्रति वर्ग मीटर का भी अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव 74.8(3) Constitution of separate cell within the Town Planning Wing pursuant to the decision of First Monitoring committee held on 4.2.2000 under the Chairmanship of Secretary U.D.H.

पारित प्रस्ताव 74.8(3) प्रस्तुत एजेण्डा आईटम पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इसे स्थगित रखा जाए और आगामी बैठक में नियमित एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव 74.8(4) उद्यान प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव 74.8(4) प्रस्तुत एजेण्डा का अवलोकन किया गया एवं विचार-विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के उद्यान प्रकोष्ठ को अधिक प्रभावशील बनाये जाने के संबंध में अभियान्त्रिकी व उद्यान प्रकोष्ठ के कार्यकलापों के सन्दर्भ में समुचित आदेश देने के लिए आयुक्त, जविप्रा को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है परन्तु इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जावे कि उद्यान प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली प्रभावी बनाने के संदर्भ में इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जावे जिससे कि भविष्य में प्राधिकरण को उद्यान प्रकोष्ठ के लिए नवीन पदों का सृजन करना पड़े क्योंकि राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप नवीन पदों के सृजन से संबंधित कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

प्रस्ताव 74.8(5) रामनगरिया योजना (जगतपुरा) की आरक्षित दर अनुमोदन के क्रम में।

पारित प्रस्ताव 74.8(5) रामनगरिया योजना (जगतपुरा) की आरक्षित दर अनुमोदन पर

सचिव

जगतपुर विकास प्राधिकरण
जगतपुर

समिति द्वारा गहन विचार किया गया एवं विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि रामनगरिया योजना (जगतपुरा), जिसका कुल क्षेत्रफल 18.31 हैक्टर है और जिसपर विभिन्न आकार के 594 भूखण्ड सृजित किये गये है, योजना का एवं उसके लिए 700 रूपये प्रति वर्ग मीटर की आरक्षित दर का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव 74.8(6) गोपालपुरा एवं सांगानेर चौराहों पर फ्लाई ऑवर निर्माण कार्य।

पारित प्रस्ताव 74.8(6) टॉक रॉड पर गोपालपुरा एवं सांगानेर चौराहों पर फ्लाई ऑवर निर्माण के एजेण्डा आईटम का अवलोकन किया गया एवं विचार-विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये:-

- (1) गोपालपुरा एवं सांगानेर चौराहों पर फ्लाई ऑवर निर्माण हेतु 2489.76 लाख रू. की राशि ऋण स्वरूप हुडको से प्राप्त की जावे।
- (2) परियोजना का क्रियान्वयन प्राधिकरण द्वारा किया जावे।
- (3) श्री के. पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा को ऋण अनुबन्धों, मोर्डगेज डीड पर हस्ताक्षर करने, दस्तावेजों पर प्राधिकरण की कामन सील लगाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करने को अधिकृत किया गया।
- (4) योजना की कुल राशि व ऋण राशि के अन्तर को प्राधिकरण अपने स्रोतों से पूर्ति करेगा, जिसमें योजना राशि में बढोतरी भी, यदि कोई है, सम्मिलित है।
- (5) हुडको तथा बैंक व अन्य वित्तीय संस्था के ऋण एवं ब्याज की राशि का समय समय पर पुर्नभुगतान हेतु बजट में समुचित प्रावधान रखना।
- (6) निदेशक (वित्त) द्वारा उक्त ऋण राशि प्राप्ति हेतु राज्य सरकार से गारन्टी प्राप्त कर हुडको को देना।
- (7) राज्य सरकार को गारन्टी कमीशन निर्धारित समय एवं दर से भुगतान करना एवं विफल होने की स्थिति में प्राधिकरण को देय किसी राशि से कटौती करने हेतु राज्य सरकार को सहमति देना।
- (8) योजना क्रियान्वती हेतु प्रशासनिक व पर्यवेक्षण व्यय हेतु 5

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिशत का प्रावधान।

- (9) प्रस्ताव की राज्य सरकार से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त की जावे।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।



सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर












सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी समिति की 74वीं बैठक दिनांक 2.3.2000 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय को अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य	मय पद	हस्ताक्षर
1.	NC GOEL	JDC	
2.	DR. DINESH KUMAR Goyal	MD RTDC	
3.	SHRIMAT PANDEY	Collector Jaipur	
4.	BC Agarwal	CE PWD Rtds	
5.	SWADESH PAL	A. C. E. PHEI Jaipur	
6.	Shri Ram Meena	Dy. Secy. UDH	
7.	A.K. Gupta	Distt (TP)	
8.	S. L. MATHUR	Dir (Engg.)	
9.	P R Sharma	Dir (Fin.)	
10.	MARJIT SINGH	C.E.O JAIPUR	
11.	Namal Kishore Sharma	Add. Commr (Land & Lands)	 02/3/2000
12.			